प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक : 790 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : मार्च 13 ,2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/ 2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 का मुख्य अंश निम्नवत है :–

"13. The Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh is directed to take appropriate steps for implementation of the recommendations made by the Joint Committee and cancellation of the leases granted in violation of the siting criteria prescribed in the rules and file action taken report within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

14. List for further consideration on 18.03.2024.

15. In view of the report of the Joint Committee which specifically points out the mining leases which are close to habitation and violative of prescribed distance from habitation and the report of DGMS which points out the mining leases who have not obtained the requisite permissions for blasting, the Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh is directed to ensure that mining leases violative of siting norms and also mining leases not having requisite permissions for blasting be closed and the concerned mining lessees be not allowed to carry out any mining in the same till further orders and the District Magistrate, the Superintendent of Police and the District Mining Officer, Banda are directed to take all requisite measures for ensuring that no mining takes place in violation of this interim injunctive order passed by this Tribunal.

16. A copy of this order be sent to the District Magistrate, the Superintendent of Police and the District Mining Officer, Banda by email for requisite compliance."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के क्रम में अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत है :–

1. उपरोक्त वाद में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के क्रम में 03 खनन पट्टाधारको के सम्बन्ध में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 17.11.2023 के दृष्टिगत उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र को नजदीक स्थित आबादी के निकट पाये जाने के कारण **कार्यालय आदेश सं0–1047/खनिज–30, बाँदा दिनांक 30.11.2023 (संलग्नक–01)** द्वारा उक्त खनन पट्टा क्षेत्रो से खनन/परिवहन का कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया गया।

2. उपरोक्त वाद में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–1461/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2023 दिनांक 04.12.2023 **(संलग्नक–02)** द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(e) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में कार्यालय आदेश सं0–245/खनिज–30, बाँदा दिनांक

1174

30.01.2024 द्वारा कमेटी का गठन करते हुये प्रकरण की संयुक्त जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में गठित कमेटी द्वारा उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्रो की जांच दिनांक 20.02.2024 को की गयी तथा संयुक्त जांच आख्या सं0–572/खनिज–30, बाँदा दिनांक 23.02.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रो हेतु आबादी से निकट 50 मीटर क्षेत्र में आ रहे रकबा को छोड़कर शेष रकबा भूक्षेत्र पर खनन/परिवहन किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी।

3. उपरोक्त समस्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय आदेश सं0–1047/खनिज–30 बाँदा दिनांक 30.11.2023 द्वारा उक्त 03 खनन पट्टा क्षेत्रो पर खनन/परिवहन हेतु लगे प्रतिबन्ध को हटाते हुये कार्यालय आदेश सं0–768/खनिज–30 बाँदा दिनांक 11.03.2024 **(संलग्नक–03)**, कार्यालय आदेश सं0–769/खनिज–30 बाँदा दिनांक 11.03.2024 **(संलग्नक–04)** व कार्यालय आदेश सं0–770/खनिज–30 बाँदा दिनांक 11.03.2024 **(संलग्नक–05)** द्वारा **प्रश्नगत खनन क्षेत्रो हेतु आबादी से निकट 50 मीटर क्षेत्र में आ रहे रकबा को छोड़कर/ प्रतिबन्धित करते हुये शेष रकबा भूक्षेत्र पर संशोधित जियोकोआर्डिनेट्स के अनुसार खनन/परिवहन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी।**

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

जिलाधिकारी
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक :1047 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : नवम्बर 30 ,2023

"आदेश"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"1. Reports/responses have been filed by the Director General for Mines Safety (DGMS), Dhanbad vide email dated 01.11.2023; by District Magistrate, (DM), Banda vide email dated 21.11.2023 and by Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) vide email dated 23.11.2023.

2. However, none has appeared before this Tribunal for respondent Dno.4-DGMS, Dhanbad today.

3. Mr. Manoj Kumar, Advocate has appeared for respondents no. 9, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27 and Mr. Deeksha L. Kakkar and Akansha Chaudhary, Advocates have appeared for respondent no. 13 and they seek time to file their reply/response.

4. Mr. Mukesh Verma, Advocate has appeared for Mining Department and District Magistrate, Banda and he also seeks time to file their reply/response.

5. Replies/responses be filed by them on or before 07.12.2023 at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 08.12.2023.

7. The Registry is directed to issue reminder to District Magistrate, Banda for sending his report regarding service of notices on remaining respondents out of respondents no. 6 to 27 within one week after serving requisite notices on them if not already served.

8. In view of the provisions made in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating this Tribunal to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19 (4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010 the mining lease holders are directed to cease and desist from carrying out any mining by way of blasting without obtaining requisite permission from DGMS, Dhanbad and in violation of in violation of environmental norms prescribing siting criteria.

9. The District Magistrate, the Superintendent of Police and the District Mining Officer, Banda are directed to take all requisite measures for ensuring that no mining takes place in violation of above interim injunctive order passed by this Tribunal.

5. A copy of this order be forwarded to the Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, the Superintendent of Police and the District Mining Officer, Banda by e-mail for requisite compliance."

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित तहसील नरैनी स्थित ग्राम–गिरवां, जरर व बड़ोखर खुर्द में उपखनिज गिट्टी/पत्थर के स्वीकृत/संचालित खनन पट्टो का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम व पता	तहसील	खनन क्षेत्र	गाटा संख्या	रकबा (है0 में)	पट्टा अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री सफदर अली पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली निवासी मु0–खूंटी चौराहा, अलीगंज, शहर व जिला बांदा	नरैनी	जरर	2450 (खण्ड सं0–3)	2.00	09.11.2020 से 08.11.2030
2.	श्री बजरंग रोड लाइन्स पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह पुत्र श्री तेज प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584, कटरा लालगंज, तहसील गौरीगंज, जिला अमेठी	नरैनी	गिरवां	1876 (खण्ड सं0–03)	1.41	03.01.2022 से 02.01.2032
3.	श्री संग्राम सिंह पुत्र श्री जयवन्त सिंह निवासी ग्राम–पहरा तहसील व जिला महोबा।	नरैनी	गिरवां	1876 (खण्ड सं0–1)	2.02	09.11.2020 से 08.11.2030

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 द्वारा निदेशक खान सुरक्षा निदेशालय से ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त किये बिना संचालित खनन पट्टो तथा निर्धारित साइट मापदण्ड हेतु पर्यावरणीय मापदण्डो का उल्लंघन करने वाले खनन पट्टो में संचालित खनन संक्रियायें तत्कालिक प्रभाव से रोके जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 17.11.2023 द्वारा उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र को नजदीक स्थित आबादी के निकट पाया है। ऐसी स्थिति में उक्त खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन का कार्य मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन में अग्रिम आदेशो तक प्रतिबन्धित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि अपने खनन क्षेत्र में खनन संक्रियायें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दशा में न किया जाय एवं मा0 अधिकरण के आदेशो का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त आदेश जिलाधिकारी बांदा के अनुमोदन दिनांक 30.11.2023 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बांदा।
4. पुलिस अधीक्षक, बांदा को मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में पत्र में अंकित खनन पट्टा क्षेत्रो में खनन संक्रियायें संचालित न हो, कि सुनिश्चिता हेतु सम्बन्धित हेतु पुलिस क्षेत्राधिकारी को आदेशित किये जाने प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
7. खान अधिकारी, बांदा।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
9. सम्बन्धित खनन पट्टाधारको को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा।

संख्या 1561 /एम0 एन0जी0टी0 वाद/2023 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषयः-ओ0ए0 संख्या-422 वर्ष 2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सम्बोधित तथा शासन व निदेशालय को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-970/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके साथ ओ0ए0 संख्या-422 वर्ष 2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में आपके द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या/कृत कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) दिनांक 17.11.2023 प्रेषित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01.08.2023 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या में Finding and Recommendations से सम्बन्धित बिन्दु संख्या-21.1 के क्रम में जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त अनुपालन आख्या/कृत कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) दिनांक 17.11.2023 के बिन्दु संख्या-2 में उल्लेख किया गया है कि:-

"ग्राम-गिरवॉ, तहसील-नरैनी, जनपद-बांदा स्थित पहाड़ी पर कुल 7 खनन पट्टो को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीज आवंटित की गयी है, जिसमें ग्राम-गिरवॉ की आबादी मैसर्स संग्राम सिंह, गाटा नं0-1876, खण्ड नं0-01 ग्राम-गिरवॉ, जनपद-बॉदा से 36 मी0 की दूरी पर स्थित है। मैसर्स बजरंग रोड लाइन (सुरेन्द्र प्रताप सिंह), गाटा नं0-1876, खण्ड नं0- 03 ग्राम- गिरवॉ, जनपद- बॉदा से 15 मी0 की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में आबादी अधिक होने के दृष्टिगत आबादी को विस्थापित कराये जाने की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन/निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर खनिज नियमावली में अनुमन्य आबादी की दूरी तक खनन पट्टे का क्षेत्रफल कम किये जाने की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार उचित प्रतीत होता है। शेष अन्य 5 खनन पट्टों से मुख्य आबादी 50 मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।"

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के Rule-42(e) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् हैं:-

"No mining operation shall be carried out on at or to any point within a distance 50 metres from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concern, or from any reservoir, canal or other public works, such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the District Officer or any other officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions and conditions either general or special, which may be attached to such permission. The said distance of 50 metres shall be

measured in case of railway, reservoir, canal or road horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting, as the case may be, and in case of a building horizontally from plinth thereof.

Provided that the distance in the case of a village road shall be 10 metres from the outer edge of the cutting."

अतः उपरोक्त प्रकरण में नियमावली–2021 के उक्त Rule-42(e) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

04/12/23

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्या — /एम0–एन0जी0टी0 वाद/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः–प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 768/खनिज–30, बाँदा

दिनांक : मार्च 11 ,2024

"आदेश"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2024 के अनुक्रम में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम–गिरवां, जरर व बड़ोखर खुर्द में उपखनिज गिट्टी/पत्थर के स्वीकृत/संचालित खनन पट्टा नजदीक स्थित आबादी के निकट पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश सं0–1047/खनिज–30 बांदा दिनांक 30.11.2023 द्वारा श्री सफदर अली पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली निवासी मु0–खूंटी चौराहा, अलीगंज, शहर व जिला बाँदा के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम–जरर के गाटा सं0–2450 (खण्ड सं0–03) रकबा 2.00 हे0 भूक्षेत्र में गिट्टी/पत्थर के स्वीकृत/निष्पादित खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन का कार्य अन्य क्षेत्रो के साथ अग्रिम आदेशो तक प्रतिबन्धित किया गया।

उपरोक्त वाद में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–1461/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(e) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में कार्यालय आदेश सं0–245/खनिज–30, बाँदा दिनांक 30.01.2024 द्वारा कमेटी का गठन करते हुये संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में गठित कमेटी द्वारा उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों की जांच दिनांक 20.02.2024 की गयी तथा संयुक्त जांच आख्या सं0–572/खनिज–30, बाँदा दिनांक 23.02.2024 प्रस्तुत किया गया, **जिसमें प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु आबादी से निकट 50 मी0 क्षेत्र में आ रहे रकबा 0.25 हे0 को छोड़कर शेष रकबा 1.75 हे0 भूक्षेत्र पर खनन/परिवहन किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।**

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यो को दृष्टिगत कार्यालय आदेश सं0–1047/खनिज–30 बाँदा दिनांक 30.11.2023 द्वारा खनन/परिवहन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाते हुये आबादी के 50 मी0 क्षेत्र में आ रहे रकबा 0.25 हे0 को छोड़कर/प्रतिबन्धित करते हुये शेष रकबा 1.75 हे0 भूक्षेत्र पर संलग्न संशोधित जियोकोआर्डिनेट्स के अनुसार खनन/परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा पट्टाधारक श्री सफदर अली पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली निवासी मु0–खूंटी चौराहा, अलीगंज, शहर व जिला बाँदा को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित जियोकोआर्डिनेट्स व क्षेत्रफल पर खनन/परिवहन कार्य नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाँदा।
4. पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
5. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
7. खान अधिकारी, बाँदा।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
9. पट्टाधारक श्री सफदर अली पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली निवासी मु0–खूंटी चौराहा, अलीगंज, शहर व जिला बाँदा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 769 / खनिज–30, बाँदा

दिनांक मार्च 11, 2024

"आदेश"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2024 के अनुक्रम में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम–गिरवां, जरर व बड़ोखर खुर्द में उपखनिज मिट्टी/पत्थर के स्वीकृत/संचालित खनन पट्टा नजदीक स्थित आबादी के निकट पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश सं0–1047/खनिज–30 बाँदा दिनांक 30.11.2023 द्वारा श्री संग्राम सिंह पुत्र श्री जयवन्त सिंह निवासी ग्राम–पहरा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम गिरवां के गाटा सं0–1876 (खण्ड सं0–01) रकबा 2.02 हे0 भूक्षेत्र में मिट्टी/पत्थर के स्वीकृत/निष्पादित खनन पट्टा क्षेत्र में खनन/परिवहन का कार्य अन्य क्षेत्रो के साथ अग्रिम आदेशो तक प्रतिबन्धित किया गया।

उपरोक्त वाद में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–1461/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(c) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में कार्यालय आदेश सं0–245/खनिज–30, बाँदा दिनांक 30.01.2024 द्वारा कमेटी का गठन करते हुये संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में गठित कमेटी द्वारा उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रो की जांच दिनांक 20.02.2024 को गयी तथा संयुक्त जांच आख्या सं0–572/खनिज–30, बाँदा दिनांक 23.02.2024 प्रस्तुत किया गया, **जिसमें प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु आबादी से निकट 50 मी0 क्षेत्र में आ रहे रकबा 0.07 हे0 को छोड़कर शेष रकबा 1.95 हे0 भूक्षेत्र पर खनन/परिवहन किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।**

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यो को दृष्टिगत कार्यालय आदेश सं0–1047/खनिज–30 बाँदा दिनांक 30.11.2023 द्वारा खनन/परिवहन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाते हुये आबादी के 50 मी0 क्षेत्र में आ रहे रकबा 0.07 हे0 को छोड़कर/प्रतिबन्धित करते हुये शेष रकबा 1.95 हे0 भूक्षेत्र पर संलग्न संशोधित जियोकोआर्डिनेटस के अनुसार खनन/परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा पट्टाधारक श्री संग्राम सिंह पुत्र श्री जयवन्त सिंह निवासी ग्राम–पहरा तहसील व जिला महोबा को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित जियोकोआर्डिनेटस व क्षेत्रफल पर खनन/परिवहन कार्य नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

<u>पत्रांक व दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि :</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाँदा।
4. पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
5. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
7. खान अधिकारी, बाँदा।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
9. पट्टाधारक श्री संग्राम सिंह पुत्र श्री जयवन्त सिंह निवासी ग्राम–पहरा तहसील व जिला महोबा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 770 / खनिज–30, बाँदा

दिनांक : मार्च 11 2024

"आदेश"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422 / 2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2024 के अनुक्रम मे जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम–गिरवां, जरर व बड़ोखर खुर्द मे उपखनिज गिट्टी / पत्थर के स्वीकृत / संचालित खनन पट्टा नजदीक स्थित आबादी के निकट पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश सं0–1047 / खनिज–30 बांदा दिनांक 30.11.2023 द्वारा मे0 बजरंग रोड लाइन्स पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह पुत्र श्री तेज प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584, कटरा लालगंज, तहसील गौरीगज, जिला अमेठी के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम–गिरवां के गाटा सं0–1876 (खण्ड सं0–03) रकबा 1.41 हे0 भूक्षेत्र में गिट्टी / पत्थर के स्वीकृत / निष्पादित खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन का कार्य अन्य क्षेत्रो के साथ अग्रिम आदेशो तक प्रतिबन्धित किया गया।

उपरोक्त वाद में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के क्रम मे निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–1461 / एम0–एन0जी0टी0 वाद / 2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(c) मे उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में कार्यालय आदेश सं0–245 / खनिज–30, बाँदा दिनांक 30.01.2024 द्वारा कमेटी का गठन करते हुये संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में गठित कमेटी द्वारा उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रो की जांच दिनांक 20.02.2024 की गयी तथा संयुक्त जांच आख्या सं0–572 / खनिज–30, बांदा दिनांक 23.02.2024 प्रस्तुत किया गया, **जिसमें प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु आबादी से निकट 50 मी0 क्षेत्र में आ रहे रकबा 0.17 हे0 को छोड़कर शेष रकबा 1.24 हे0 भूक्षेत्र पर खनन / परिवहन किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।**

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यो को दृष्टिगत कार्यालय आदेश सं0–1047 / खनिज–30 बाँदा दिनांक 30.11.2023 द्वारा खनन / परिवहन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाते हुये आबादी के 50 मी0 क्षेत्र में आ रहे रकबा 0.17 हे0 को छोड़कर / प्रतिबन्धित करते हुये शेष रकबा 1.24 हे0 भूक्षेत्र पर संलग्न संशोधित जियोकोआर्डिनेट्स के अनुसार खनन / परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा पट्टाधारक मे0 बजरंग रोड लाइन्स पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह पुत्र श्री तेज प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584, कटरा लालगंज, तहसील गौरीगंज, जिला अमेठी को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित जियोकोआर्डिनेट्स व क्षेत्रफल पर खनन / परिवहन कार्य नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), बाँदा।
4. पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
5. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
7. खान अधिकारी, बाँदा।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
9. पट्टाधारक मे0 बजरंग रोड लाइन्स पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह पुत्र श्री तेज प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584, कटरा लालगंज, तहसील गौरीगंज, जिला अमेठी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बाँदा।